

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 52/24 प्रा०पत्र

1- श्रीमती गीतादेवी व/० शिवलाल भील निवासी- देवघड़ी तहसील- करेड़ा

-प्राथी

बनाम

1- श्री जगदीश व/० श्री भंवर भील निवासी- भालडी खेड़ा तहसील- माण्डल (वर्ग 1)
[पृच्छाहित प्राप्त्र संलग्न]

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956


दिनांक:- 07-05-24

आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भालडी खेड़ा पटवार हल्का गोगास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 751/593 कुल कित्ता 01 रकबा 1.2646 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05-04-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अदालतकार्य से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भालडी खेड़ा पटवार हल्का गोगास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 751/593 कुल कित्ता 01 रकबा 1.2646 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 700 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फराल  को पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 52/24 प्रा०पत्र

1- श्रीमती गीतादेवी व/० शिवलाल भील निवासी- देवघडी दहीमथा
तहसील-करेडा

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री जगदीश व/० श्री भंवर भील निवासी-भालडीखेडा तहसील-माण्डल (वर्ग 1)
[पृष्ठबद्धित प्राप्पत्र संलग्न]

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-05-24


::आदेश:-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भालडीखेडा पटवार हल्का गेवास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 751/593 कुल किता 01 रकबा 1.2646 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05-04-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भालडीखेडा पटवार हल्का गेवास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 751/593 कुल किता 01 रकबा 1.2646 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सु.हरिया को 750 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौक च कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल